3/11

आज दिनाँक 28.11.2020 को अन्तरिम समिति की एक बैठक मा0 न्यायमूर्ति अरुण टण्डन(से.नि.) की अध्यक्षता में मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के मुख्यालय पर 12.00 बजे आरम्भ हुई।

1— अन्तरिम समिति के समक्ष आज 4 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। 2 पत्र श्री छत्रपाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा एक पत्र श्री अनिल सिंह द्वारा एवं एक पत्र 11 संस्थापक सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया गया। श्री छत्रपाल शर्मा द्वारा पहली आपत्ति दिनाँक 26.11.2020 में भारत सेवा संस्थान से प्राप्त सदस्यों की सूची से सम्बन्धित है। इसी प्रकार की दरख्वास्त का निस्तारण अन्तरिम समिति द्वारा अपने प्रस्ताव दिनाँक 08.11.2020 में किया जा चुका है। श्री छत्रपाल शर्मा द्वारा दूसरी आपत्ति दिनाँक 28.11.2020 तथा श्री अनिल सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनाँक 28.11.2020 एक ही विषय वस्तु की हैं। दोनों आपत्तियों में यह लिखा गया है कि दिनाँक 08.11.2020 को जो सूचना अन्तरिम समिति द्वारा दी गयी थी उसके अनुसार आज दिनाँक 28.11.2020 को **11.00 बजे** प्रशासन परिषद के पदाधिकारियों का चुनाव होना था। यह चुनाव संस्थापक सदस्यों तथा निर्वाचित प्रशासन परिषद के सदस्यों (जिनका दिनाँक 08.11.2020 को चुनाव हुआ) से किया जाना था। सूचना के अनुसार दिनाँक 28.11.2020 को 3 कालेजों की गर्वनिंग बाडी/प्रबन्ध समितियों के लिए चुनाव **अपरान्ह 2.00** बजे से साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जाना तय था। पत्र में यह कहा गया है कि इस कारण **11.00 बजे** कई साधारण सभा के सदस्य उपस्थित नहीं हुए हैं।

2— अन्तरिम समिति द्वारा दिनाँक 28.11.2020 को होने वाले चुनाव से सम्बन्धित जो सूचना दिनाँक 08.11.2020 को साधारण सभा के सदस्यों को दी गयी थी उसके अपने प्रस्ताव दिनाँक 08.11.2020 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था। यह प्रस्ताव सोसाइटी/बाल विद्या मन्दिर स्कूल की वेबसाइड पर भी अपलोड कर दिया गया था। फिर भी श्री छत्रपाल शर्मा तथा श्री अनिल सिंह की आपत्तियों को दृष्टिगत

रखते हुए अन्तरिम समिति ने यह निर्णय लिया कि मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी की प्रशासन परिषद के चुनाव के नामांकन तथा मतदान यदि आवश्यक होगा, को **अपरान्ह 2.00** बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाय। क्योंकि साधारण सभा के **2.00 बजे** से होने वाली बैठक के बारे में कोई भी शंका व्यक्त नहीं की गयी है। तद्नुसार दोनों आपत्तियों निस्तारित की जाती हैं। चौथा पत्र जो 11 संस्थापक सदस्यों के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ है उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री व कोषाध्यक्ष के पदों पर 5 लोगों के नाम निर्वाचित घोषित करने के लिए कहा गया है। उक्त पत्र का कोई अर्थ नहीं है तथा उसमें कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(मा0 अरुण टण्डन)
न्यायमूर्ति(से.नि.)
अध्यक्ष, अन्तरिम समिति

(वीरेन्द्र चौबे)
उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा(से.नि.)
सदस्य, अन्तरिम समिति

(मुरलीधर राय)
विशेष कार्याधिकारी (से.नि.)
सदस्य, अन्तरिम समिति

(वी0के0 माथुर)
सीनियर आडिटर(से.नि.)
सदस्य, अन्तरिम समिति